

International Multidisciplinary
Research Journal

*Indian Streams
Research Journal*

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

Mr. Dikonda Govardhan Krushanahari
Professor and Researcher ,
Rayat shikshan sanstha's, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur.

International Advisory Board

Kamani Perera Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka	Mohammad Hailat Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken	Hasan Baktir English Language and Literature Department, Kayseri
Janaki Sinnasamy Librarian, University of Malaya	Abdullah Sabbagh Engineering Studies, Sydney	Ghayoor Abbas Chotana Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]
Romona Mihaila Spiru Haret University, Romania	Ecaterina Patrascu Spiru Haret University, Bucharest	Anna Maria Constantinovici AL. I. Cuza University, Romania
Delia Serbescu Spiru Haret University, Bucharest, Romania	Loredana Bosca Spiru Haret University, Romania	Ilie Pinteau, Spiru Haret University, Romania
Anurag Misra DBS College, Kanpur	Fabricio Moraes de Almeida Federal University of Rondonia, Brazil	Xiaohua Yang PhD, USA
Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania	George - Calin SERITAN Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi	More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India	Iresh Swami Ex - VC. Solapur University, Solapur	Rajendra Shendge Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur
R. R. Patil Head Geology Department Solapur University,Solapur	N.S. Dhaygude Ex. Prin. Dayanand College, Solapur	R. R. Yallickar Director Managment Institute, Solapur
Rama Bhosale Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel	Narendra Kadu Jt. Director Higher Education, Pune	Umesh Rajderkar Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik
Salve R. N. Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur	K. M. Bhandarkar Praful Patel College of Education, Gondia	S. R. Pandya Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai
Govind P. Shinde Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai	Sonal Singh Vikram University, Ujjain	Alka Darshan Shrivastava Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar
Chakane Sanjay Dnyaneshwar Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune	G. P. Patankar S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka	Rahul Shriram Sudke Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore
Awadhesh Kumar Shirotiya Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)	Maj. S. Bakhtiar Choudhary Director,Hyderabad AP India.	S.KANNAN Annamalai University,TN
	S.Parvathi Devi Ph.D.-University of Allahabad	Satish Kumar Kalhotra Maulana Azad National Urdu University
	Sonal Singh, Vikram University, Ujjain	



समाचार पत्रों में औषधि एवं चमत्कारिक उपचार से सम्बद्ध विज्ञापन प्रकाशन की समस्या (झुंझुनू जिले के विशेष संदर्भ में)

महेश कुमार

पीएचडी शोधार्थी ,

पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग, महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय जयपुर, (राज.)

सारांश

औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम 1954 का उल्लंघन कर कई उत्पाद निर्माता, व्यक्ति, समूह, कम्पनी आदि अपने विज्ञापनों के द्वारा गांवों एवं शहरों के सीधे-साधे, अशिक्षित एवं बिना जागरूकता वाले व्यक्तियों को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के मोह जाल में फांसकर आमजन का शोषण कर रहे हैं। इन विज्ञापनों से भ्रमित पाठक ऐसे उत्पादों के उपभोक्ता बनकर अपने जीवन तक को संकट में डाल लेते हैं। दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय) विज्ञापनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस तरह के विज्ञापनों को रोकने में इसके लिए प्रस्तुत शोध में इस समस्या को समझने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना

आदिकाल से वर्तमान तक मानव अपने विचारों को सम्प्रेषित करने के लिए चित्रों, चिह्नों और लिपि एवं आधुनिक संचार माध्यमों का प्रयोग करता रहा है। मानव का संदेश सम्प्रेषित करने का यह तरीका संदेश देने के माध्यमों के अनुसार क्रमशः बदलता रहा है। और इसने धीरे-धीरे व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्तमान विज्ञापन का स्वरूप धारण कर लिया है। वर्तमान युग पूर्ण रूपेण विज्ञापन का युग है। आज जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू है जो विज्ञापन से अछूता रहा हो। विज्ञापन से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने पर आमजन को निश्चित ही लाभ पहुंचता है।



आँखों की रौशनी बढ़ायें इस चमत्कारिक औषधि से..!!

विज्ञापन से आमजन की जानकारी और जागरूकता में भी इजाफा होता है। उपभोक्ता शिक्षा व जागरूकता ने व्यवसायियों को गुणवत्ता व बेहतर सेवा के लिये बाध्य किया है। जहां एक ओर विज्ञापन लाभकारी सिद्ध हुए हैं वहीं इसके प्रतिकूल प्रभावों को भी नकारा नहीं जा सकता। कई उत्पाद निर्माता औषधि एवं चमत्कारिक उपचार से सम्बद्ध विज्ञापनों का प्रकाशन कर भ्रमित कर आमजन का शोषण कर रहे हैं। यह विज्ञापन प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया में प्रकाशित एवं प्रसारित हो रहे हैं। इस शोध में शोधकर्ता द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम 1954 में प्रतिबंधित एवं अन्य भ्रामक विज्ञापन जैसे—अंधता, अपेन्डिक्स, रक्त विषाक्तता, कैंसर, मोतियाबिन्द, बहरापन, मधुमेह, मस्तिष्क सम्बंधी रोग, तंत्रिका तंत्र सम्बंधी रोग, गर्भाशय सम्बंधी रोग, मासिक स्त्राव सम्बंधी रोग, पुरुष ग्रंथि विकार, मिर्गि रोग, स्त्री सम्बंधी रोग, सामान्य बुखार या ज्वर, दोरे, स्तनों के आकार में वृद्धि एवं सुडोलता सम्बंधी, पित्ताशय पथरी, वृक्क पथरी, मूत्राशय पथरी, गैंगरेन,

ग्लूकोमा, गलगण्ड, हृदय रोग, उच्च और निम्न रक्त चाप, हाइड्रोसीन, हिस्टीरिया, बाल पक्षाघात, कुष्ठ रोग, श्वेत कुष्ठ रोग, हनुस्तंभ, मोटापा, पक्षाघात, फेफड़ों सम्बंधी रोग, निमोनिया, आमवात—संधिवात रोग, छोटी—बड़ी माता रोग, शारीरिक ढाँचा सम्बंधी रोग, महिलाओं में बांझपन, टीबी, टाइफाइड, अल्सर, असुरक्षित यौन सम्बंधों से महिलाओं में होने वाले रोग के उपचार से सम्बद्ध विज्ञापनों का अध्ययन किया गया है।

शोध के उद्देश्य

1. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय) विज्ञापनों के प्रकाशन का गुणात्मक अध्ययन करना।
2. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय) विज्ञापनों के प्रकाशन का संख्यात्मक अध्ययन करना।
3. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय) विज्ञापनों के प्रकाशन से होने वाले नुकसान का अध्ययन करना।
4. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के प्रकाशन एवं दवाओं की बिक्री का अध्ययन।
5. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के प्रकाशन रोकथाम प्रयासों का अध्ययन करना।

प्राकल्पना

1. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के प्रकाशन निरन्तर बढ़ता जा रहा है।
2. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों का प्रस्तुतीकरण अश्लील और अमर्यादित होता जा रहा है तथा बाल मन को प्रभावित करते हैं।
3. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के प्रकाशन से आर्थिक ठगी की जा रही है।
4. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के प्रकाशन से अनावश्यक उत्पादों की डिमाण्ड जनरेट करायी जाती है।
5. पाठकों में औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के प्रकाशन रोकथाम कानून की जानकारी का अभाव है। सरकार कानून के सफल क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं देती है।

शोध प्रविधि

शोध के लिए विश्लेषण एवं सैम्पलिंग पद्धति का सहयोग लिया गया। प्रस्तुत अध्ययन में कार्यक्षेत्र के रूप में झुंझुनू जिले का चयन किया गया। जिसमें खेतड़ी, सूरजगढ़, बुहाना, चिड़ावा, उदयपुरवाटी, नवलगढ़, झुंझुनू एवं मलसीसर 8 उपखण्डों से कुल 120 पाठकों प्रश्नोत्तर किये गये तथ्यों एवं आंकड़ों का संकलन किया गया। पाठकों का चयन निदर्शन विधि द्वारा किया गया। अन्तर्वस्तु विश्लेषण एवं अवलोकन विधि से समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के इतिहास एवं विषयवस्तु जानने के लिए पुस्तकों का अध्ययन एवं झुंझुनू जिले में प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका के

1 सितम्बर 2014 से 31 मार्च 2015 तक के अंकों का अध्ययन किया गया है।

साहित्य पुनरावलोकन

विज्ञापन जनसंचार अध्ययन का महत्वपूर्ण बिन्दु है। विज्ञापन से सम्बंधित तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा जनसंचार कर्मियों एवं विद्वानों में हमेशा से ही रही है। औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों का प्रकाशन समाचार पत्रों के प्रकाशन के साथ ही शुरू हुए इस लिए इस समस्या के समाधान और रोकथाम के प्रयास भी तभी शुरू हो गये। भारत में पहला औषधि विज्ञापन बांग्ला भाषा के समाचार पत्र 'संवाद कौमुदी' में सन् 1821 में प्रकाशित हुआ। सन् 1927 में नकली चिकित्सकों के गुप्त व्यवहार और औषधियों के अन्धाधुंध उपयोग को देखते हुए स्टेट कॉन्सिल द्वारा अध्यादेश लाया गया जिसमें इन दवाओं के माननकीकरण एवं बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की बात कही गई। अगस्त 1930 में भारत सरकार द्वारा सर आर एन चोपड़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने अध्ययन कर रिपोर्ट दी कि औषधियों के आयात, उत्पादन एवं बिक्री पर नियंत्रण किया जाये। देवी-देवताओं के यहां झाड़ू-फूंक, ताबीज, तिलिस्मों, मंत्रों आदि से रोगों का इलाज कराने की प्रवृत्ति और आशय के विज्ञापन को पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने से रोकने के लिये औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम 1954 पारित किया गया। प्रतिभा खोसला और आकाश खोसला ने 2010 में 'डाइरेक्ट टू कन्ज्यूमर एडवर्टाइजिंग ऑफ परसेप्शन ड्रग ऑन इंटरनेट' विषय पर अध्ययन किया। विपुल लाम्बडे ने 2013 में 'औषधि विज्ञापनों का उपभोगताओं पर प्रभाव का आंकलन' विषय पर अध्ययन प्रस्तुत किया। 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' ने 9 जुलाई 2012 को 'द मार्केटिंग ऑफ मेजिक नेवर माइंड द लॉज' विषय पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। डिपार्टमेंट ऑफ फोरेन्सिक मेडिसिन ने मार्च 2014 में औषधि विज्ञापनों पर अध्ययन प्रस्तुत किया।

तथ्य संकलन एवं विश्लेषण

दैनिक भास्कर समाचार पत्र में माह सितम्बर 2014 से दिसम्बर 2015 में प्रकाशित औषधि एवं चमत्कारिक उपचार से सम्बद्ध विज्ञापन																
क्र.स.	विज्ञापन का विषय	सितम्बर 2014	अक्टूबर 2014	नवम्बर 2014	दिसम्बर 2014	जनवरी 2015	फरवरी 2015	मार्च 2015	अप्रैल 2015	मई 2015	जून 2015	जुलाई 2015	अगस्त 2015	सितम्बर 2015	अक्टूबर 2015	नवम्बर 2015
1	मधुमेह	0	0	0	9	4	2	3	0	5	6	9	7	9	7	5
2	सुख-समुद्रि, रोगनाशक यन्त्र मन्त्र	9	0	0	25	10	4	3	0	0	0	8	12	8	9	1
3	मोटापा (कम/ज्यादा)	12	11	6	16	10	15	12	1	2	5	14	6	16	8	10
4	उघाई बडाना	0	0	0	0	2	4	2	2	11	7	22	21	9	8	14
5	महिलाओं के स्तन आकार अभिवृद्धि	3	0	5	8	0	1	0	0	1	7	4	4	3	4	4
6	रुबी रोग	0	1	0	2	9	5	5	2	4	3	5	18	21	9	11
7	बांझपन	0	1	0	3	7	3	2	7	5	7	6	10	6	7	9
8	सहवास सुख अभिवृद्धि (शक्तिवर्धक)	0	0	0	5	6	5	2	7	54	19	1	2	3	7	12
9	जोड़ी का दर्द	7	15	16	13	10	10	5	2	6	8	13	17	13	28	12
10	गौरापन	35	42	39	51	6	9	18	11	13	28	21	29	31	21	46
11	बाल झड़ना/सफेद होना	43	55	52	84	54	48	29	28	29	28	29	33	41	37	31
12	किडनी	0	0	0	1	1	3	2	0	1	1	2	2	2	3	1
13	लकवा	0	2	0	1	1	2	1	0	2	0	2	4	2	2	1
14	योन रोग (महिलाएं)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	पल्सरी (पित्त-मुत्रारण्य)	0	0	0	4	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
16	पुरुष लिंग आकार अभिवृद्धि	195	208	203	132	172	276	131	0	2	3	0	0	1	1	2
17	वैत कुष्ठ रोग	3	2	0	0	0	0	6	0	1	1	1	0	0	0	0
18	अन्य भ्रामक औषधि उपचार विज्ञापन	13	10	11	25	8	19	25	17	6	10	9	24	19	16	15
19	इस अंक में प्रकाशित कुल विज्ञापन	321	347	334	380	298	413	247	74	146	131	147	184	188	166	174

तलिका संख्या 1 –माह सितम्बर 2014 से दिसम्बर 2015 तक दैनिक भास्कर समाचार पत्र में औषधि एवं चमत्कारिक उपचार से सम्बद्ध विज्ञापनों के प्रकाशन का माहवार विवरण।

राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में माह सितम्बर 2014 से दिसम्बर 2015 में प्रकाशित औषधि एवं चमत्कारिक उपचार से सम्बद्ध विज्ञापन																
क्र.स.	विज्ञापन का विषय	सितम्बर 2014	अक्टूबर 2014	नवम्बर 2014	दिसम्बर 2014	जनवरी 2015	फरवरी 2015	मार्च 2015	अप्रैल 2015	मई 2015	जून 2015	जुलाई 2015	अगस्त 2015	सितम्बर 2015	अक्टूबर 2015	नवम्बर 2015
1	मधुमेह	0	3	4	3	0	3	4	2	1	0	0	0	0	1	1
2	सुख-समुद्रि, रोगनाशक यन्त्र मन्त्र	28	37	35	58	31	21	26	32	5	11	11	14	26	14	6
3	मोटापा (कम/ज्यादा)	36	18	13	23	14	18	23	12	25	20	9	15	8	15	26
4	उघाई बडाना	14	3	1	0	2	7	29	8	17	11	3	7	4	4	0
5	महिलाओं के स्तन आकार अभिवृद्धि	1	3	1	4	0	3	0	0	3	5	6	3	3	6	6
6	रुबी रोग	8	3	8	11	15	13	14	14	12	6	0	5	9	3	4
7	बांझपन	2	5	7	2	2	4	5	4	2	5	6	3	3	5	5
8	सहवास सुख अभिवृद्धि (शक्तिवर्धक)	33	18	0	14	4	17	19	29	46	28	0	2	1	0	0
9	जोड़ी का दर्द	13	13	7	11	12	21	12	7	3	12	0	0	5	2	4
10	गौरापन	7	49	57	67	21	19	20	16	13	13	10	17	35	10	5
11	बाल झड़ना/सफेद होना	37	57	64	61	46	29	21	29	3	8	5	19	22	18	6
12	किडनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
13	लकवा	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	योन रोग (महिलाएं)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	पल्सरी (पित्त-मुत्रारण्य)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	पुरुष लिंग आकार अभिवृद्धि	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
17	वैत कुष्ठ रोग	0	0	0	0	0	1	4	8	12	10	0	0	0	7	0
18	अन्य भ्रामक औषधि उपचार विज्ञापन	43	32	29	35	25	26	21	11	18	11	9	16	15	3	5
19	इस अंक में प्रकाशित कुल विज्ञापन	222	241	226	291	173	183	198	172	161	140	60	102	131	88	68

तलिका संख्या 2 –माह सितम्बर 2014 से दिसम्बर 2015 तक राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में औषधि एवं चमत्कारिक उपचार से सम्बद्ध विज्ञापनों के प्रकाशन का माहवार विवरण।

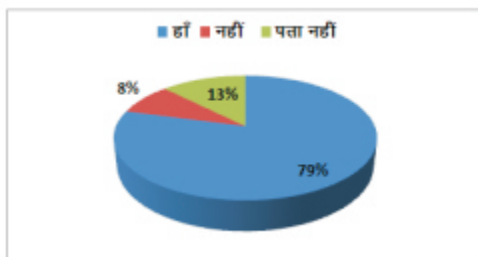
दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका समाचार पत्रों में माह सितम्बर 2014 से दिसम्बर 2015 में प्रकाशित औषधि एवं चमत्कारिक उपचार से सम्बद्ध विज्ञापन																		
क्र. स.	विज्ञापन का विषय	सितम्बर 2014	अक्टूबर 2014	नवम्बर 2014	दिसम्बर 2014	जनवरी 2015	फरवरी 2015	मार्च 2015	अप्रैल 2015	मई 2015	जून 2015	जुलाई 2015	अगस्त 2015	सितम्बर 2015	अक्टूबर 2015	नवम्बर 2015	दिसम्बर 2015	योग
1	मधुमेह	0	3	4	12	4	5	7	2	6	6	9	7	9	8	8	5	95
2	सुख-समृद्धि,रोगनाशक यन्त्र मन्त्र	37	37	35	83	41	25	29	32	5	11	19	26	34	23	7	8	452
3	मोटापा (कम/ज्यादा)	48	29	19	39	24	33	35	13	27	25	23	21	24	23	36	25	444
4	उचाई बढ़ाना	14	3	1	0	4	11	31	10	28	18	25	28	13	12	14	32	244
5	महिलाओं के स्तन आकार अभिवृद्धि	4	3	6	12	0	4	0	0	4	12	10	7	6	10	10	5	93
6	स्त्री रोग	8	4	8	13	24	18	19	16	16	9	5	23	30	12	15	33	253
7	बांझपन	2	6	7	5	5	11	8	6	9	10	13	9	13	11	12	13	140
8	सहवास सुख अभिवृद्धि (शक्तिवर्द्धक)	33	18	0	19	10	22	21	36	100	47	1	4	4	7	12	48	382
9	जोड़ों का दर्द	20	28	23	24	22	31	17	9	9	20	13	17	18	30	16	33	330
10	गौरापन	42	91	96	118	27	28	38	27	26	41	31	45	66	31	51	60	818
11	बाल झड़ना/सफेद होना	80	112	116	145	100	77	50	57	32	36	34	52	63	55	37	55	1101
12	किडनी	0	0	0	1	1	3	2	0	1	1	3	3	2	3	1	1	22
13	लकवा	1	0	2	1	2	3	1	0	2	0	2	4	2	2	1	4	27
14	योन रोग (महिलाएं)	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
15	पत्थरी (पित्त-मुत्राशय)	0	0	0	5	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	13
16	पुरुष लिंग आकार अभिवृद्धि	195	208	203	133	172	276	131	0	3	3	0	0	1	1	2	1	1329
17	श्वेत कुष्ठ रोग	3	2	0	0	0	1	10	8	13	11	1	0	0	7	0	0	56
18	अन्य भ्रामक,औषधि,उपचार विज्ञापन	56	42	40	60	33	45	46	28	24	21	18	40	34	19	20	48	574
19	इस अंक में प्रकाशित कुल विज्ञापन	543	588	560	671	471	596	445	246	307	271	207	286	319	254	242	372	6378

तलिका संख्या 3—माह सितम्बर 2014 से दिसम्बर 2015 तक राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर समाचार पत्रों में औषधि एवं चमत्कारिक उपचार से सम्बद्ध विज्ञापनों के प्रकाशन का माहवार विवरण। उक्त अवधि में कुल 6378 औषधि एवं चमत्कारिक उपचार से सम्बद्ध विज्ञापनों का प्रकाशन दोनों समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए।

औषधि एवं चमत्कारिक उपचार से सम्बद्ध विज्ञापनों के प्रकाशन की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने के लिए किये गये माह सितम्बर 2014 से दिसम्बर 2015 तक के राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर समाचार पत्रों में प्रकाशित अंकों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो गया कि इन विज्ञापनों का प्रकाशन निरन्तर जारी है। उक्त अवधि में मधुमेह राकथाम के 95, सुख-समृद्धि, रोगनाशक यन्त्र मन्त्र के 452, मोटापा कम करने/वजन बढ़ाने के 444, उचाई बढ़ाना के 244, महिलाओं के स्तन आकार अभिवृद्धि के 93, स्त्री रोग के 253, बांझपन के 140, सहवास सुख अभिवृद्धि (शक्तिवर्द्धक) के 382, जोड़ों का दर्द निवारण के 330, गौरापन के 818, बाल झड़ना/सफेद होने से रोकने के 1101, किडनी रोग के 22, लकवा रोग के 27, योन रोग (महिलाएं) के 05, पत्थरी (पित्त-मुत्राशय) के 13, पुरुष लिंग आकार अभिवृद्धि के 1329, श्वेत कुष्ठ रोग के 56, एवं अन्य भ्रामक, औषधि एवं चमत्कारिक उपचार के 574 विज्ञापन प्रकाशित हुए। इस प्रकार इस अवधि में कुल 6378 औषधि एवं चमत्कारिक उपचार से सम्बद्ध विज्ञापनों का प्रकाशन हुआ। जिसमें दैनिक भास्कर में 3771 राजस्थान पत्रिका में 2607 विज्ञापनों का प्रकाशन हुआ। तुलनात्मक रूप से दैनिक भास्कर में उक्त विज्ञापन ज्यादा मात्रा में प्रकाशित हुए। इन पर लगाम के सारे प्रयास बेअसर शाबित हुए हैं। राजस्थान में विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम 1954 का उल्लंघन कर निरन्तर विज्ञापनों का प्रकाशन किया जा रहा है। इनके रोकथाम के लिये सरकार ने कोई ठोस प्रयास नहीं किये हैं।

1. क्या आपके विचार में औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों का प्रस्तुतीकरण घर-परिवार में बच्चों पर बुरा प्रभाव डालता है ?

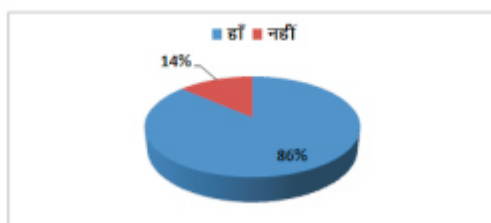
चित्र संख्या-1



चित्र संख्या-1 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार स्पष्ट होता है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के प्रस्तुतिकरण के बारे में 79 प्रतिशत पाठक बच्चों पर बुरा प्रभाव डालने वाला मानते हैं 8 प्रतिशत बुरा नहीं मानते जबकि 13 प्रतिशत को इसका पता नहीं।

2. आपके अनुसार औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों की विषय वस्तु अश्लील होती है?

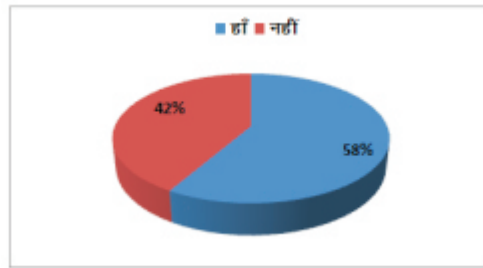
चित्र संख्या-2



चित्र संख्या-2 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार स्पष्ट होता है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों को 86 प्रतिशत पाठक अश्लील मानते हैं जबकि 14 प्रतिशत नहीं मानते।

3. क्या आपको कभी औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों को देखकर अथवा पढ़कर दवा खरीदकर आर्थिक हानि हुई है ?

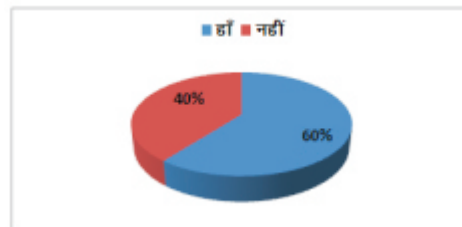
चित्र संख्या-3



चित्र संख्या-3 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार स्पष्ट होता है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों को पढ़ने वाले पाठकों से 58 प्रतिशत पाठकों ने माना कि ऐसे विज्ञापनों से पाठक आर्थिक ठगरी का शिकार होते हैं। जबकि 42 प्रतिशत ने ऐसा नहीं माना।

4. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के प्रस्तुतीकरण से विज्ञापन में दिखाई गई वस्तु स्वयं के लिये आवश्यक सी प्रतीत होती है। यानी पाठक या दर्शक से डिमांड जनरेट करवाई जाती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं ?

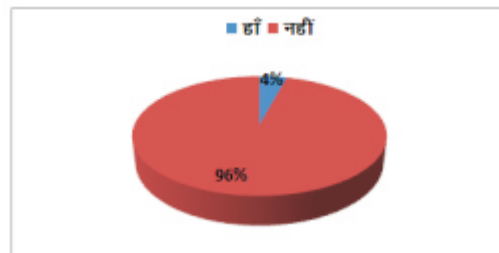
चित्र संख्या-4



चित्र संख्या-4 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 60 प्रतिशत पाठक मानते हैं कि समाचार पत्रों में प्रकाशित औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों में दिखाई गई वस्तु स्वयं के लिये आवश्यक सी प्रतीत होती है। यानी पाठक या दर्शक से डिमांड जनरेट करवाई जाती है। जबकि 40 प्रतिशत ऐसा नहीं मानते।

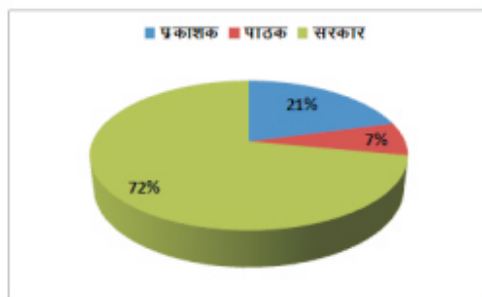
5. क्या आपको औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों को रोकने के लिये बनाये गये औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (अक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम 1954 की जानकारी है ?

चित्र संख्या-5



चित्र संख्या-5 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 96 प्रतिशत पाठकों को समाचार पत्रों में प्रकाशित औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों रोकने के लिए बनाये गये औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (अक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम 1954 की जानकारी ही नहीं है। सिर्फ 4 प्रतिशत पाठकों को इस एक्ट की जानकारी है।

6. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए आपकी नजर में कौन जिम्मेदार है ?



चित्र संख्या-6 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 72 प्रतिशत पाठक समाचार पत्रों में प्रकाशित औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। 21 प्रतिशत प्रकाशक तथा 7 प्रतिशत पाठकों को इन विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार मानते हैं।

निष्कर्ष-

प्रस्तुत शोध में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित औषधि एवं चमत्कारिक उपचार से सम्बद्ध विज्ञापनों के अध्ययन के लिए विभिन्न पहलुओं का गहनता से अध्ययन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है तथा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। इस कार्य हेतु निर्धारित शोध रूपरेखा बनाने के पश्चात 1 सितम्बर 2014 से 31 मार्च 2015 तक प्रकाशित जिले के दोनों मुख्य समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर के प्रतिदिन के अंकों का अवलोकन कर आंकड़े एकत्र किये गये। इसके साथ ही विभिन्न विधियों द्वारा जुटाये गये। ऐतिहासिक परिपेक्ष जानने के लिये अनेक संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन किया गया।

उद्देश्य 1. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय) विज्ञापनों के प्रकाशन का संख्यात्मक अध्ययन करना।

प्राक्कल्पना 1. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के प्रकाशन निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

झुंझुनू जिले के दो मुख्य समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर के 1 सितम्बर 2014 से 31 मार्च 2015 तक प्रकाशित अंकों के प्रतिदिन अवलोकन से तैयार सारणी संख्या 1,2,3 में यह स्पष्ट हो जाता है कि औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय) विज्ञापनों का प्रकाशन निरन्तर हो रहा है। साथ इसमें निरन्तर वृद्धि भी हो रही है। तालिका 3 में दिखाया गया है कि उक्त 16 माह की अवधि में कुल 6378 औषधि एवं चमत्कारिक उपचार से सम्बद्ध विज्ञापनों का प्रकाशन हुआ। जिसमें दैनिक भास्कर में 3771 राजस्थान पत्रिका में 2607 विज्ञापनों का प्रकाशन हुआ।

उद्देश्य 2. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय) विज्ञापनों के प्रकाशन का गुणात्मक अध्ययन करना।

प्राक्कल्पना 2. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों का प्रस्तुतीकरण अश्लील और अमर्यादित होता जा रहा है तथा बाल मन को प्रभावित करते हैं।

चित्र संख्या-1 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार स्पष्ट होता है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के प्रस्तुतिकरण को 79 प्रतिशत पाठक बच्चों पर बुरा प्रभाव डालने वाला मानते हैं 8 प्रतिशत बुरा नहीं मानते जबकि 13 प्रतिशत को इसका पता नहीं। इसी तरह चित्र संख्या-2 में प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों को 86 प्रतिशत पाठक अश्लील मानते हैं जबकि 14 प्रतिशत नहीं मानते।

उद्देश्य 3. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय) विज्ञापनों के प्रकाशन से पाठकों को होने वाले नुकसान का अध्ययन करना।

प्राक्कल्पना 3. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के प्रकाशन से आर्थिक ठगी की जा रही है।

अध्ययन से पता चला है कि औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के प्रकाशन का कारोबार अरबों रुपये का हो चुका है। अधिकांशतः पाठकों को भ्रमित कर आर्थिक ठगी की जाती है। साथ इन विज्ञापनों को देखकर खरीदी गई दवा से शारीरिक नुकसान भी होता है। चित्र संख्या-3 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार स्पष्ट होता है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों को पढ़ने वाले पाठकों से 58 प्रतिशत पाठकों ने माना कि ऐसे विज्ञापनों से पाठक आर्थिक ठगी का शिकार होते हैं। जबकि 42 प्रतिशत ने ऐसा नहीं माना।

उद्देश्य 4. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के प्रकाशन एवं दवाओं की बिक्री का अध्ययन।

प्राक्कल्पना 4. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के प्रकाशन से अनावश्यक उत्पादों की डिमाण्ड जनरेट करायी जाती है।

चित्र संख्या-4 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 60 प्रतिशत पाठक मानते हैं कि समाचार पत्रों में प्रकाशित औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों में दिखाई गई वस्तु स्वयं के लिये आवश्यक सी प्रतीत होती है। यानि पाठक या दर्शक से डिमांड जनरेट करवाई जाती है। जबकि 40 प्रतिशत ऐसा नहीं मानते। हार्डट बढाना, गोरापन, स्तन आकार अभिवृद्धि, सहवास सुख अभिवृद्धि, बालों को फिर से उगाना आदि विज्ञापनों की डिमांड अनावश्यक रूप से आकर्षक एवं भ्रामक विज्ञापन दिखाकर कराई जाती है।

उद्देश्य 5. औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के प्रकाशन रोकथाम प्रयासों का अध्ययन करना

प्राक्कल्पना 5. पाठकों में औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के प्रकाशन रोकथाम कानून की जानकारी का अभाव है। सरकार कानून के सफल क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं देती है।

चित्र संख्या-5 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 96 प्रतिशत पाठकों को समाचार पत्रों में प्रकाशित औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों रोकने के लिए बनाये गये भेदधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम 1954 की जानकारी ही नहीं है। सिर्फ 4 प्रतिशत पाठकों को इस एक्ट की जानकारी है। चित्र संख्या-6 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 72 प्रतिशत पाठक समाचार पत्रों में प्रकाशित औषधि एवं चमत्कारिक उपचार विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। 21 प्रतिशत प्रकाशक तथा 7 प्रतिशत पाठकों को इन विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार मानते हैं।

समस्या समाधान के लिए सुझाव

1. नया कानून का निर्माण और उसकी कठोरता से पालना करना।
2. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से ली जाये प्रतिदिन रिपोर्ट लेना।
3. ऑनलाइन पोर्टल व ईपेपर से निगरानी करना।
4. कानून तोड़ने वाले पत्र का रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिये।

5. विज्ञापन देने वाले कम्पनी पर भी हो कार्यवाही।
6. निगरानी समितियों का हो गठन।
7. सेलेब्रटीज द्वारा अभिनय पर लगे प्रतिबन्ध।
8. व्यापक जागरूकता लाई जाये।
9. शिकायत के लिए टोलफ्री नम्बर की हो सुविधा।
10. स्थानीय भाषा में मिले नियमों की जानकारी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

संदर्भ / ग्रन्थ सूची- पुस्तकें :

1. जनसम्पर्क एवं विज्ञापन-2005 डॉ. संजीव भानावत।
2. विज्ञापन और उपभोक्ता व्यवहार—डॉ. ऋतु सारस्वत।
3. आधुनिक विज्ञापन एवं जनसम्पर्क— डी के राव।
4. द एडवर्टाईजिंग स्टैंडर्ड कौंसिल ऑफ इंडिया।
5. पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा— आलोक मेहता।
6. समकालीन संचार सिद्धान्त— सुस्मिता बाला।
7. भारत में संचार और जनसंचार— प्रो. जे पी विलानिलम।
8. समाचार पत्र एवं प्रेस कानून-2005 —डॉ. संजीव भानावत।
9. दैनिक भास्कर।
10. राजस्थान पत्रिका।
11. भारतीय पाठक सर्वे-2013।
12. 'एडवर्टाईजमेंट आर इनजर्स टू पब्लिक इंटरेस्ट' अंकित व्यास 1998।
13. 'विज्ञापन तकनीक एवं सिद्धांत' नरेन्द्र सिंह यादव।
14. 'विज्ञापन निर्माण एवं प्रक्रिया' डॉ. निशान्त सिंह।
15. विज्ञापन 'सिद्धान्त एवं व्यवहार' प्रो. रमेश जैन।
16. 'एडवर्टाईजिंग— आर्ट एण्ड आइडियाज' डॉ. जी एम रेगे।
17. 'विज्ञापन व्यवसाय एवं कला' डॉ. रामचन्द्र तिवारी।
18. 'विज्ञापन कला' श्री एकेश्वर प्रसाद हटवाल।
19. 'विज्ञापन सिद्धान्त एवं प्रयोग' विजय कुलश्रेष्ठ।
20. www.ascionline.org
21. The marketing of 'magic', never mind the laws-Indian Express July 9, 2012.
22. In India, magic remedies for sexual dysfunction limp- Indian Express July 10, 2012
23. FDA intensifies drive against misleading adverts by drug companies- Indian Express May 13, 2014.
24. Indian Acad Forensic Med. January-March 2014, Vol. 36, N.1
25. Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisements Act 1954



महेश कुमार

पीएचडी शोधार्थी, पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग,
महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय जयपुर, (राज.)

Publish Research Article

International Level Multidisciplinary Research Journal

For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Theses, Books and Book Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- ★ International Scientific Journal Consortium
- ★ OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org